न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 12/2022

1. श्रीमती केशरी देवी स्त्री
2. पार्वती पुत्री
3. महेश कुमार पुत्र
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र
5. सिलोचना पुत्री
6. रामप्यारी पुत्री
7. संतरा पुत्री
8. विनोद कुमारी पुत्री

स्व0 हरफुल, जाति समस्त मेघवाल, निवासी सिरियासर कला, पुरानी तहसील झुंझुनूं वर्तमान तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 गोपाल
2. श्योकरण पुत्र स्व0 गोपाल
3. दुर्गाराम पुत्र स्व0 सागर
4. बंशीधर पुत्र स्व0 सागर
5. नरेश कुमार पुत्र स्व0 सागर
6. संतोष पुत्री स्व0 सागर
7. टोरू पुत्र स्व0 पन्ना
8. बनारसी स्त्री स्व0 खीवांराम
9. रूकमा पुत्री स्व0 खीवाराम
10. देवकरण पुत्र स्व0 श्योजीराम
11. रामनिवास पुत्र श्योजीराम
12. रोहिताश पुत्र श्योजीराम
13. महेश पुत्र श्योजीराम
14. सम्पती पुत्री स्व0 श्योजीराम
15. अमरचन्द पुत्र स्व0 मुकन्दाराम
16. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मुकन्दाराम
17. सहीराम पुत्र स्व0 मुकन्दाराम
18. राधा पुत्री मुकन्दाराम
19. पतासी स्त्री स्व0 मेघाराम
20. बजरंग पुत्र स्व0 मेघाराम
21. चिडिया पुत्री स्व0 मेघाराम
22. बनवारी पुत्र सुखाराम
    जाति समस्त मेघवाल, निवासी सिरियासर कला, पुरानी तहसील झुंझुनूं नई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
23. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार [illegible]।
24. उप पंजीयक झुंझुनूं।
25. उप पंजीयक मण्डावा जिला झुंझुनूं।
26. तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

––

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 21.09.2021 बअदालत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा जिला झुंझुनूं बाबत नामान्तरकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पो0 सं0 23 लगायत 26 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 22 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.05.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 के विद्वान तहसीलदार मण्डावा के नामान्तरकरण संख्या 751 दिनांक 21.09.2021 भूमि ग्राम सिरियासर कला के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र अ0धा0 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स के अनुसार जमीन हाल ख0न0 343 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकीन बाडा, ख0न0 746 रकबा 2.77 हैक्टर, ख0न0 747 रकबा 2.77 हैक्टर, ख0न0 806 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0न0 807 रकबा 2.39 हैक्टर, ख0न0 808 रकबा 2.53 हैक्टर, ख0न0 818 रकबा 1.73 हैक्टर, ख0न0 819 रकबा 3.16 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम सिरियासर कला तहत पुरानी तहसील झुंझुनूं वर्तमान तहसील मण्डावा मे स्थित है। उक्त जमीन के बाबत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के न्यायालय में मुकदमा उनवानी हरफुल बनाम सुभाषचन्द्र वगै0 मु0न0 198/2014 विचाराधीन था उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम सिरियासर कला में दिनांक 08.07.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 01.05.2018 को विभाजन प्रस्ताव बनाये गये विभाजन प्रस्ताव आने पर उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने दिनांक 20.06.2018 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। मुकदमा नं0 198/2014 में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांकित 20.06.2018 की पालना में नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला खोला गया अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा ने नामान्तकरण संख्या 751 को दिनांक 21.09.2021 को इस आधार पर खारीज कर दिया कि "विभाजन प्रस्ताव निर्णय एंव डिक्री का हिस्सा होना बताया है जबकि विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अतः नामान्तकरण खारीज किया जाता है।" तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के बाबत पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 21.09.2021 के विरूद्ध मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के बाबत पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 21.09.2021 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली है। मु0न0 198/2014 में अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2014 को पारित की गई। उस समय पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई थी अन्तिम डिक्री में लिखा है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। कानून से निर्णय व डिक्री की पालना में खोले गत नामान्तकरण को किसी भी आधार पर खारीज नही किया जा सकता। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के आदेश की पालना में लोक सेवक द्वारा तैयार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना कानूनन आवश्यक नही है। विभाजन प्रस्ताव पर अन्तिम डिक्री पारित करते समय पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही हुए। उपरोक्त उपेक्षा व लापरवाही स्वयं न्यायालय की रही है। इसलिये गरीब किसान को इस आधार पर सजा नही दी जा सकती। फिर भी अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के कहने पर प्रभावित पक्षकार/अपीलान्टस ने दिनांक 06.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खैरूवा के हस्ताक्षर करवा करके अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के यहां विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये थे उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने बिना किसी कानूनी उचित आधार के आलौच्य निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया है। विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के करीब 4 महीने बाद नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 751 पर दिनांक 02.09.2021 को गिरदावर हल्का राजेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट हुई है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिक्री सही मानी है। अदालत मातहत ने जानबूझकर नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला को खारीज किया है। आलौच्य निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

कर अदालत मातहत ने अपीलान्टस को नुकसान पहुंचाया है। आलौच्य निर्णय बिना किसी कानूनी आधार के पारित किया गया है। आलौच्य निर्णय अस्पष्ट है। नामान्तकरण संख्या 751 में अपीलान्ट्स पक्षकार नही है। बल्कि अपीलान्ट नं0 1 का पति हरफुल व अन्य अपीलान्ट का पिता पक्षकार है। अपीलान्टस हरफुल के वारिस है। इस कारण अपीलान्टस आलौच्य निर्णय दिनांक 21.09.2021 से प्रभावित है जिनको नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के विरूद्ध अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। इजाजत हेतु धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के विरूद्ध पारित आलौच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 21.09.2021 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा को आदेशित किया जावे कि वे मुकदमा नम्बर 198/2014 उनवानी हरफुल बनाम सुभाषचन्द्र मे पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.06.2018 की पालना में नामान्तकरण स्वीकार करे तथा तत्कालीन तहसीलदार मण्डावा सुनिता रेवाड के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को लिखा जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 22 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 22 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि मु0न0 198/2014 में अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2014 को पारित की गई। उस समय पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई थी अन्तिम डिक्री में लिखा है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। कानून से निर्णय व डिक्री की पालना में खोले गत नामान्तकरण को किसी भी आधार पर खारीज नही किया जा सकता। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के आदेश की पालना में लोक सेवक द्वारा तैयार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना कानूनन आवश्यक नही है। विभाजन प्रस्ताव पर अन्तिम डिक्री पारित करते समय पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही हुए। उपरोक्त उपेक्षा व लापरवाही स्वयं न्यायालय की रही है। इसलिये गरीब किसान को इस आधार पर सजा नही दी जा सकती। फिर भी अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के कहने पर प्रभावित पक्षकार/अपीलान्टस ने दिनांक 06.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खैरूवा के हस्ताक्षर करवा करके अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के यहां विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये थे उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने बिना किसी कानूनी उचित आधार के आलौच्य निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया है। विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के करीब 4 महीने बाद नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 751 पर दिनांक 02.09.2021 को गिरदावर हल्का राजेन्द्र प्रसाद की रिपोर्ट हुई है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय व डिक्री सही मानी है। अदालत मातहत ने जानबूझकर नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला को खारीज किया है। आलौच्य निर्णय पारित कर अदालत मातहत ने अपीलान्टस को नुकसान पहुंचाया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू0 अभि0) मण्डावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के विरूद्ध पारित आलौच्य निर्णय/आदेश दिनांकित 21.09.2021 निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार (भू0 अभि0) मण्डावा को आदेशित किया जावे कि वे मुकदमा नम्बर 198/2014 उनवानी हरफुल बनाम सुभाषचन्द्र मे पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.06.2018 की पालना में नामान्तकरण स्वीकार करे तथा तत्कालीन तहसीलदार मण्डावा सुनिता रेवाड के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को लिखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से वकील अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव पर अन्तिम डिक्री पारित करते समय पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही हुए। उपरोक्त उपेक्षा व लापरवाही स्वयं न्यायालय की रही है। इसलिये गरीब किसान को इस आधार पर सजा नही दी जा सकती। फिर भी अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के कहने पर प्रभावित पक्षकार/अपीलान्टस ने दिनांक 06.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश खैरूवा के हस्ताक्षर करवा करके अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा के यहां विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये थे उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने बिना किसी कानूनी उचित आधार के आलौच्य निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया है। विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के करीब 4 महीने बाद नामान्तकरण संख्या 751 खारीज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 751 ग्राम सिरियासर कला के विरूद्ध पारित आदेश दिनांकित 21.09.2021 निरस्त किया जाता है तथा अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अभि0) मण्डावा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे संबंधित पक्षकारों को पुनः सुना जाकर एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील ज्ञाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुझुनू

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested